10756

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
- 1 NOV 2019
जानसठ (मुजफ्फरनगर)

AA 160748

सचिन कुमार शर्मा
दस्तावेज लेखक
जानसठ रजि0नं0-95/2008

सचिन कुमार शर्मा
दस्तावेज़ लेखक
जानसठ रजि०नं०-95/2008

पट्टा विलेख (LEASE DEED) अवधि 15 वर्ष
(स्टाम्प शुल्क 1000/–रुपये)

1. प्रश्नगत किरायेदारी वाली सम्पत्ति ग्राम किथौडा परगना भु0स0 तहसील जानसठ जिला मु0नगर के क्षेत्र मे स्थित है।
2. यह पट्टा (LEASE DEED) विलेख 15 वर्ष की अवधी के लिए लिखा जा रहा है।
3. यह कि उपरोक्त किरायानामा मे औसत वार्षिक किराया अंकन 10,000/–रूपये है।
4. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 खण्ड क उपधारा 5 के अनुसार औसातन वार्षिक किराया अर्थात अंकन 10,000/–रू0 के तीन गुणा से उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त, कर एंव निबधन अनुभाग–5 अधिसूचना आदेश सं0 सं0वि0क0नि0–5–2756/11–2008–500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के

Scanned by CamScanner

क्रमांक 1 21/11/18 मूल्य 500

दादा गुरुदेव पुत्र ट्रस्ट रजि॰ कार्यालय सवाईपुर जलालपुर प्रयोजन द्वारा विलेख

मवानारोड मेरठ द्वारा सचिव विशाल जैन

का स्टाम्प प्रयोजन हेतु बेचा गया।

स्टाम्प विक्रेता

(मेरठ)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 395801

25 OCT 2018

2

अनुसार 2 प्रतिशत की दर से अंकन 1000/–रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

यह कि पट्टा विलेख (LEASE DEED) आज दिनांक 02.11.2018ई0 को निम्न पक्षो के मध्ये निष्पादित हुआ।

हम कि मैसर्स दादा गुरुदेव एजूकेशन प्राईवेट लिमिटेड (M/s DADA GURUDEV EDUCATIONAL PRIVATE LIMITED) (PAN NO- AAFCD5103M) रजिस्टर्ड कार्यालय भवन सं0 75 सलारपुर–जलालपुर, 6 माईल स्टौन, मवाना रोड, मेरठ शहर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री पियूष शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी 721/8 जागृति विहार मेरठ शहर आधार कार्ड सं0 611417104995. (जिन्हे इस आलेख मे प्रथम पक्ष/पट्टादाता कहकर सम्बोधित किया गया है)

एंव

दादा गुरदेव ट्रस्ट (DADA GURUDEV TRUST) रजि0 कार्यालय भवन सं0 75, सलारपुर–जलालपुर 6 माईल स्टौन मवाना रोड मेरठ पंजीकरण सं0 437, 16.09. 2015 कार्यालय उपनिबन्धक मेरठ द्वारा सचिव विशाल जैन पुत्र स्व0श्री नगीनचन्द जैन (Aadhar No- 795556315590) निवासी 75, सलारपुर–जलालपुर मवाना रोड

------------------------------ ------------------------------

Scanned by CamScanner

पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

प्रतिफल- 833 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 1060

श्री मैसर्स दादा गुरुदेव एजुकेशन प्राइवेट लि० द्वारा
पियूष शर्मा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 721/8 जागृति विहार मेरठ शहर मेरठ

श्री, मैसर्स दादा गुरुदेव एजुकेशन प्राइवेट लि० द्वारा पियूष शर्मा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक
02/11/2018 एवं 02:41:01 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ओमवीर सिंह (प्रभारी)
उप निबंधक :जानसठ
मुजफ्फरनगर
02/11/2018

ओमवीर सिंह (प्रभारी)
उप निबंधक

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 395802

उप निबंधक अधिकारी 25 OCT ... (मुजफ्फरनगर)

मेरठ (उ0प्र0) (जिसको इस पट्टा विलेख मे द्वितीय पक्ष/किरायेदार कहकर सम्बोधित किया गया है)

जो कि सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल 10561 वर्गगज यानि 8830 वर्गमीटर (आठ हजार आठ सौ तीस वर्गमीटर) भूमि खसरा नं0 49/2 व खसरा नं0 48/2 व 47 स्थित ग्राम **किथौडा** परगना भु0रा0 तहसील जानसठ जिला मु0नगर की प्रथम पक्ष कम्पनी स्वामी एंव अधिपति है। द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त भूमि को शैक्षिक कार्य हेतू प्रथम पक्ष से किराये पर लेंने के लिए इच्छा प्रकट की है, जिसे प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया है अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मनमस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियो से प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को 15 वर्ष की अवधि के लिए उपरोक्त सम्पत्ति को निम्नलिखित शर्तो पर किराये पर देने के लिए यह पट्टा विलेख (LEASE DEED) निष्पादित किया जा रहा है।

1. यह कि प्रथम पक्ष ने 10561 वर्गगज यानि 8830 वर्गमीटर भूमि ख0नं0 49/2 व खसरा नं0 48/2, 47 स्थित ग्रामकिथौडा परगना भु0स0 तहसील जानसठ जिला मु0नगर का पूर्ण व वास्तविक अधिपत्य द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है तथा द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि का कब्जा शिक्षण कार्य हेतू प्रयोग मे लाने के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है।

2. यह कि उक्त सम्पत्ति की किरायेदारी दिनांक 02.11.2018 से प्रारम्भ होकर

Scanned by CamScanner

2/11/18 100

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री मैसर्स दादा गुरुदेव एजुकेशन प्राइवेट लि० के द्वारा पियूष शर्मा , पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा

निवासी: 721/8 जागृति विहार मेरठ शहर मेरठ

व्यवसाय: अन्य

पट्टा गृहीता: 1

श्री दादा गुरदेव ट्रस्ट के द्वारा विशाल जैन , पुत्र श्री स्वर्गीय नगीनचन्द जैन

निवासी: भवन संख्या 75, सलारपुर-जलालपुर मवाना रोड मेरठ

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गौरव कुमार धीमान , पुत्र श्री सुखवीर सिंह

निवासी: मौहल्ला मुश्तर्क क़स्बा मीरापुर जिला मुज़फ्फरनगर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री शमशुद्दीन , पुत्र श्री ननवा खान

निवासी: मौहल्ला मुश्तर्क क़स्बा मीरापुर जिला मुज़फ्फरनगर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

ओमवीर सिंह (प्रभारी)
उप निबंधक : जानसठ
मुज़फ्फरनगर

ओमवीर सिंह (प्रभारी)
उप निबंधक

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 395803

कोषाधिकारी
25 OCT 2019
जानसठ (मुजफ्फरनगर)

4

01.11.2033 तक अधिकतम 15 वर्ष तक रहेगी तथा वर्ष दर–वर्ष रहेगी।

3. यह कि उक्त सम्पत्ति का किराया अंकन 10,000/–दस हजार रूपये प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के पहले माह मे द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को नकद/चैक द्वारा अवलम्ब अदा करते रहेगे। कोई आपत्ति नही होगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड मे निर्मित भवन का प्रयोग शैक्षिक गतिविधियो के लिए तथा पार्क/पार्किंग/हॉस्टल/शिक्षण रूप आदि निर्माण कराने के पूर्ण अधिकारी रहेगे, उनके इस अधिकार मे प्रथम पक्ष को कदापि किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होगा।

5. यह कि किरायेदारी वाली सम्पत्ति मे प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के अधिकारो मे कोई हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नही करेगे।

6. यह कि द्वितीय पक्ष आवश्यकतानुसार उक्त सम्पत्ति पर अपना बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के अधिकारी रहेगें तथा उसका भुगतान नियमित रूप से करते रहगे, किसी भी सरकारी विभाग की देयता से प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध नही होगा।

7. यह कि जब भी द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को खाली करना चाहेगे तो उसकी सूचना एक वर्ष पूर्व प्रथम को देकर उक्त सम्पत्ति को खाली करके उसका कब्जा प्रथम पक्ष को अविलम्ब वापिस कर देगे तथा अपना स्थायी/अस्थायी निर्माण उक्त

Scanned by CamScanner

4 2/11/18 100

क्रमांक नं० 1

स्टाम्प विक्रेता

तहसील जानसठ (मुजफ्फरनगर)

दफ्तर सब रजिस्ट्रार जानसठ (मुजफ्फरनगर) उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 395804

25 OCT 2019

भूखण्ड से हटा लेगे, कोई आपत्ति नही होगी।

8. यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति द्वितीय पक्ष को केवल 15 (पन्द्रह) वर्ष की अवधि ा तक ही किराये पर दी है, 15 वर्ष की अवधि के उपरान्त उक्त किरायेदारी स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसमे किसी पक्ष को को कोई आपति नही हागी।

9. यह कि उपरोक्त पट्टा विलेख (LEASE DEED) पर उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के समरत प्राविधान पूर्ण रूप से लागू होगे। यदि भविष्य मे किसी सरकारी विभाग, अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा अथवा अन्य कारणो से उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहित करने की स्थिति मे द्वितीय पक्ष की लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा निर्मित भवन आदि के स्वामी प्रथम पक्ष हो जायेगे। जिसमे किसी पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

10. यह कि उपरोक्त किरायेदारी की सभी शर्ते दोनो उभय पक्षो व उनके कानूनी वारिसानो, उत्तराधिकारीगण आदि पर लागू व पाबन्द रहेगीं। यदि द्वितीय पक्ष किरायानामा मे लिखी गई उपरोक्त शर्तो का पालन नही करता है। तो प्रथम पक्ष 3 माह का नोटिस देकर लीज–डीड को समाप्त कर सकता है।

अतः निम्नलिखित गवाहो के समक्ष उभय पक्षो ने आज दिनांक 02.11.

Scanned by CamScanner

5 2111118 स्टाम्प क्रमांक ...100

शामिल नं० 1

विक्रेता ... —स्टाम्प विक्रे०

... जानसठ (मुजफ्फरनगर)

ला०सं०—३८

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

ER 395805

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2018 को उपरोक्त पट्टा विलेख (LEASE DEED) जानसठ (मुजफ्फरनगर) मे निष्पादित कर दिया गया है ताकि वक्त जरूरत पर काम आवे। इतिः

25 OCT 2018
जानसठ (मुजफ्फरनगर)

चतुसीमाए उपरोक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 8830 वर्गमीटर

पूरब– खेत कमल सिह आर्य

पश्चिम– सडक

उत्तर– प्लाट लाला जी का

दक्षिण–मकान व घेर कमल सिह आर्य।

साक्षी Gaurav Kumar Dhiman

गौरव कुमार धीमान पुत्र श्री सुखवीर सिह निवासी 30, मौहल्ला गुश्तर्क कस्बा गीरापुर तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

साक्षी

शमशूदीन पुत्र ननवा खान निवासी 9 गौहल्ला मुश्तर्क कस्बा मीरापुर तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

Gaurav Kumar Dhiman

लेखतिथिः– 02 नवम्बर सन् 2018ई0

लेखक– सचिन कुमार शर्मा दस्तावेज लेखक, तहसील जानसठ जिला मु0नगर।

सचिन कुमार शर्मा
दस्तावे.. लेखक
त0 जानसठ रजि0नं0-95 '200P

2/11/18

Scanned by CamScanner

2/11/18

100

शासकीय स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नं०

स्टाम्प विक्रेता

भारतीय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 5782 के पृष्ठ 97 से 116 तक
क्रमांक 10756 पर दिनाँक 02/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक जानसठ (मुजफ्फरनगर) उत्तर प्रदेश

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ओमवीर सिंह (प्रभारी)
उप निबंधक : जानसठ
मुजफ्फरनगर
02/11/2018

Scanned by CamScanner